न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 18/2018 (राजसमन्द डिक्री)

पेमा राम पिता टीलाराम बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. पूरण पिता गेना बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. चतरा पिता गेना बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. अर्जुन पिता गेना बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. पूरण पिता सादा बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. मोहन पिता सादा बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. तुलसी पत्नी बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (नाम तर्क किया गया)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 27.05.2016 प्र.सं. 31/2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस.एल. लठ्ठा अभि.रे.सं. 1, 2, 4, 5

———::———

निर्णय **दिनांक 30–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुण्डाल की गुआर में आराजी नंबर 3632 रकबा 2½ बिस्वा गै.मु. चाह स्थित है, जो पक्षकारों की मौरूसी होकर 1/2 हिस्सा टीला पिता मोटा का तथा 1/2 हिस्सा गेना, सादा पिता अजबा का है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। अतः विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वानुसार 1/2 हिस्सा दर्ज करा 3/4 हटाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 27–05–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5, 6 की ओर से वकील श्री एस. एल. लठ्ठा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्ट के जवाबदावे पर कोई विचार नहीं किया है तथा पत्रावली कैम्प में रखकर वादीगण का वाद डिक्री कर अपीलान्ट के वैध हक अधिकारों को प्रभावित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा उपलब्ध दस्तावेजों को विपरीत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया गया है, किन्तु स्वयं अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर आदेशिका पर हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अपीलान्ट का यह कथन कि जवाबदावे में लिये गये आधारों के संबंध में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार का जवाबदावा ही उपलब्ध नहीं है, न ही जवाबदावा पेश किये जाने की कोई साक्ष्य है। तद्नुसार अपीलान्ट का उक्त कथन भी विश्वसनीय प्रकट नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गयी है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–05–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 30–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

पेमाराम पिता टीलाराम बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तहसील भीम, जिला राजमसन्द बनाम **पूरण पिता गेना बलाई, निवासी कुण्डाल की गुआर, तह0 भीम, जिला राजमसन्द व अन्य**

अपील नं.....**18 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **भीम** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....27**.....माह.....**05**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश तलेसरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एस. एल. लठ्ठा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–07–2015 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.02.11 15:51:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: